प्रपत्र– [redacted] 30.2

परियोजना का नाम :– ई०ए०पी० के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे०यो० का नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नगर पचांयत चमियाला पम्पिंग पे0यो0** निर्माण हेतु 0.20 है0 आरक्षित वन भूमि 0.159 है0 सिविल एवं सायेम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड एजेन्सी के पत्र मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–घनसाली) की दिनांक 24/6/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिंचाराम चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुार है :–

1. श्री फिंचाराम चौहान उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष।
2. श्री बलवीर प्रसाद बधानी उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य।
3. श्री सतवीर सिंह पंवार सहायक समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य/सचिव।
4. ~~श्री विजय [illegible] ब्लॉक प्रमुख भिलंगना~~ श्रीमती [illegible] पंवार [illegible] अध्यक्ष — ~~सदस्य।~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिंलगना में राज्य योजना के अन्तर्गत **नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0** के निर्माण हेतु परियोजना हेतु 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर पंचायत **चमियाला** के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित नगर पंचायत **चमियाला** द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

समबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत **चमियाला** /पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक मे सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 के निर्माण हेतु 0.359 है0वन भूमि पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल,

पत्रांक :– / तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल

प्रारुप– 3D-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - Tehri (U.K.)

Proceedings of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Dr. V. Shanmugam........I.A.S Deputy Collector Tehri Garhwal on dated .... at time ....at .... in which application claiming rights in Block Bhilangana Tehsil Balganga measuring 0.3591 hect for the construction of CWR and other related structures incl pipeline works in Chamiyalai Pumping water supply scheme under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ghansali were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; New Tehri
Dated: 7-8-19

जिला अधिकारी
टिहरी गढवाल
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रपत्र– [redacted] 30

Form-1

For linear projects

Government of India

Office of the District Collector Tehri Garhwal

Dated...7-8-19

No. 773/XXVI-64(2019-2020)

To WHOM SO EYER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoFF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued cerlain relanation in respect of linear projects it is certified that 0.359hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Division peyjal nigam Ghansali for nagar panchayat Chamiyalai Pumping water supply scheme.(purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district fails withen jurisdiction of nagar panchayat Chamiyala In Ghansali Tehsils.

It is further certified that

(a) The complete process for idenfification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.359hectares of forest area proposed for diveision A copy of records of all consullations and meetings of the forest rights committee (s) nagar panchayat Chamiyala (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to 1:6:1... annexure...1:6:4........,

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Nagar Panchayat have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

S.D.M
Ghansali
Tehri Garhwal

Signature
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Collector,
Tehri Garhwal

It is further certified that-Minutes of Meeting of Çhamiyalai Pumping W/s scheme scheme regarding FRA is as following :-

Sr. No.		Remark
(a)	*He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.20 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)*	*Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.*
(b)	*The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.*	*Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.*
(c)	*The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.*	*Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.*

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला पंचायत सदस्य,
टिहरी गढ़वाल

उ० समाज कल्याण अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता,
पेयजल निगम घनसाली,
EXECUTIVE ENGINEER
CONSTRUCTION DIVISION
GHANSALI (DISTT.TEHRI)

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रपत्र– [redacted] 30.2

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली
टिहरी गढवाल।

आज दिनांक– 24.06.2019 को नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री फिंचाराम चौहान	उपजिलाधिकारी	
2	बलवीर प्रसाद बधानी	~~उप प्रभागीय वनाधिकारी ......~~ वनक्षेत्राधिकारी	
3	सतवीर सिंह पंवार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	~~श्री विजय गुनसोला~~	~~ब्लॉक प्रमुख भिलंगना~~	

> डॉ० श्रीमती ममता पंवार — न० पं० अध्यक्ष

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

प्रपत्र– [redacted] 30.3

परियोजना का नाम :– ई0ए0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

नगर पंचायत का नाम– चमियाला।
तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत पम्पिंग पे0यो0 के निर्माण हेतु 0.20 है0 आरक्षित वन भूमि 0.159 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली /संस्था के पक्ष मं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत चमियाला द्वारा दिनांक– 24.06.2019 को सम्पन्न नगर पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी नगर पंचायत वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारेां का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पंचायत–चमियाला के नगरवासियों को उक्त वन भूमि पेयजल निगम घनसाली प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0/ अधिशासी अधिकारी न0पं0 सचिव नगर पंचायत चमियाला टिहरी गढवाल	ह0 – अध्यक्ष न0पं0 अध्यक्ष नगर पंचायत, चमियाला टिहरी गढवाल

नोट :– यदि किसी नगरवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र– [redacted] 30·4

नगर पंचायत का नाम –

क्रमांक	नगर पंचायत मे उपस्थित वरिष्ठ नगरवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती ममता पंवार न०पं० अध्यक्ष	[signature]
2.	शितल रतूड़ी · सभासद -3	[signature]
3.	श्रीमती मीरा देवी वार्ड-2	[signature]

ह0/-

न0प0 अध्यक्ष

नगर पंचायत, चमियाला

टिहरी गढ़वाल